

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 22/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00055

प्रार्थीगण:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ऐलानी, तहसील रानी जिला पाली		1. भगवतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ऐलानी तहसील रानी जिला पाली
2. परबतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ऐलानी तहसील रानी जिला पाली		2. सरपंच (ग्राम पदेन सचिव) जरिये ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेश्वर) तहसील रानी

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा।

—: निर्णय :-

दिनांक : 23/12/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 71/2015-16, संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.06.2015 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी भगवतसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा भोपालसिंह के पक्ष में मिसल संख्या 22/72-23 दायर दिनांक 15.11.1972 की पालना में पट्टा संख्या 24 दिनांक 20.01.1973 एवं मिसल संख्या 23/72-73, दायर दिनांक 15.11.1972 की पालना में पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.1973 जारी हो रखा है, जिसमें प्रत्येक पट्टे का क्षेत्रफल 1650 वर्गफुट है। उक्त दोनों प्लॉट को मिलाकर कुल नाप 60 बाई 55 फुट अर्थात् 3300 वर्गफुट है, जिस पर आदिनांक तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। उक्त भूखण्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में 1/4 हिस्सा आया। उक्त भूखण्ड का पूर्व में पट्टा बना हुआ होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से पुनः जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी ने पुश्तैनी भूमि का केवल अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।



8/20

अति. जिला कलक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 71/2015-16, संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.06.2015 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी भगवतसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में पट्टा जारी हो रखा है तथा ग्राम पंचायत ने पट्टे पर पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाते हैं कि भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17.07.2015 में अंकितानुसार "...गांव सोमेश्वर तहसील रानी के भादरलाउ चौराहा में भंवरसिंह का पुश्तैनी पट्टा सुदा कब्जा सुदा मालिकाना हक का भूखण्ड आया हुआ है जिस भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा जरिये अलग अलग पट्टा नम्बर 24 जो दिनांक 20.01.1973 का जरिये मिलस संख्या 22/72-73 दायर दिनांक 15.11.72 के कुल नाप 1650 वर्गफीट एवं पट्टा संख्या 19 जो दिनांक 20.01.1973 का जरिये मिसल संख्या 23/72-73 दायर दिनांक 15.11.1972 के प्रत्येक पट्टे का नाप 1650 वर्गफीट का भंवरसिंह के पिता भोपालसिंह पुत्र भीमसिंह के नाम से जारी किये गये हैं, जिसके एक ही प्लॉट के दो पट्टे हैं जिनका संयुक्त नाप 60 बाई 55 अर्थात् 3300 वर्गफीट है, जो एक ही भूखण्ड है। विक्रेता के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिनके चार जायन्दा पुत्र होने से विक्रेता का उपरोक्त भूखण्ड में 1/4 हिस्सा आता है, जिसके पड़ोस उत्तर दिशा में आवासीय प्लॉट, दक्षिण दिशा में सरोज कुंवर का आवासीय प्लॉट, पूर्व दिशा में आवासीय प्लॉट तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा अंकित है....।" इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत आवेदन अनुसार वह अपने रजिस्ट्री सुदा प्लॉट का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ोस एवं नक्शा, विक्रय विलेख दिनांक 17.07.2015 में अंकित पड़ोस व नक्शे अनुसार है, जिससे यह सुस्पष्ट है अप्रार्थी संख्या 1 ने उसी भूखण्ड का पट्टा बनाया है, जिसका बेचान भंवरसिंह द्वारा उनके पक्ष में किया गया था और उक्त बेचाण सुदा भूखण्ड का विक्रय विलेख अनुसार पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है, और विक्रय विलेख के तथ्यों को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार करते हुये बेचाणनाम पंजीबद्ध करवाया और उसी आधार पर पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया। जब प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख में तथ्यों का स्वीकारा जा चुका है तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan Lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार - पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आवंटित किया - पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की - विधि



8/2/19

अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि “पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।” पंचायत नियमानुसार ग्राम पंचायत को किसी भूमि का एक बार ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, उसी भूमि का पुनः पट्टा केवल तभी जारी किया जा सकता है जब पूर्व का पट्टा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है और मौके पर भूखण्ड खाली है। इस तथ्य के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने पर पाते है कि अप्रार्थी का रजिस्ट्री सुदा प्लॉट आया हुआ है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा मौके पर निर्माण सामग्री पड़ी हुई है अर्थात् मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। इसके अतिरिक्त विक्रय विलेख दिनांक 17.07.2015 में अंकित तथ्यों से भी प्रमाणित है कि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 21(1) WLC (Raj.) 164 Lalit Kumar vs The State of Rajasthan के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धाराये 97, 146, 157-पट्टे के रद्दकरण की अस्वीकृति-औचित्य-पट्टा प्रत्यर्थियों के पूर्वजों के पक्ष में निर्गत प्रत्यर्थी अपने कब्जे के नियमितीकरण की मांग कर रहे-पट्टा 711 वर्गगज के लिये निर्गत जबकि नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा 300 वर्गगज से अधिक के लिये निर्गत नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि भूमि ग्राम पंचायत की होने का अथवा प्रत्यर्थियों का कोई पुराना आवास वहां होने का कोई न्याय निर्णय नहीं है-भूमि यदि विवादग्रस्त हो तो उस पर कब्जे के नियमितीकरण के लिये नियम 157 का आश्रय नहीं लिया जा सकता-पट्टा निरस्त किया-एकल न्यायाधीश और जिलाधीश के आदेश अभिखण्डित किये गये। इसी प्रकार 2012(2) RRT 1265 Manohar Singh vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994-धारा 97-राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996-नियम 145 से 148, 157-याची के पक्ष में जारी पट्टा कलेक्टर ने निरस्त किया-नियम 157 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया-200/- रुपये प्रतिफल भुगतान करने पर निर्मित मकान के नियमन हेतु पट्टा जारी किया जा सकत है-पुराने गृहों के नियमन हेतु न कि भूखण्डों हेतु प्रावधान-निर्णीत, हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनात है। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Khusal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार नियम 157-पट्टा रद्द किया-क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति खारिज की-534.41 वर्गगज के सम्बन्ध में 200/- रुपये के लिये जारी किया-मौके पर केवल



*Handwritten signature*

अति. जिला कलेक्टर, पाली

10 X 8 का कमरा अस्तित्व में था—नियमों के उल्लंघन में जारी पट्टा अधिनियम की धारा 97 के अधीन रद्द किया जा सकता है—प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के दो जी.एल.आर. स्थापित थे—रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व्यथित व्यक्ति है—निर्णीत, याचिका में सार नहीं व खारिज की। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि पंचायत नियम, 157 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर पुराने मकान का विद्यमान होना आवश्यक है, जिसकी पालना प्रश्नगत प्रकरण में निश्चित रूप से नहीं की गई, जो कि विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रथम आदेशिका दिनांक 09.03.2015 में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर पूर्व में कोई पट्टा जारी नहीं हुआ था तथा आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क कुल रूपये 120/- जमा होना दर्शाया गया है जबकि अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ही जारी हो चुका था। इसके अतिरिक्त उक्त रूपये 120/- की राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा की गई, इस सम्बन्ध में न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जिससे शुल्क जमा होने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। आदेशिका दिनांक 20.06.2015 में अंकितानुसार प्रश्नगत भूमि पर आवेदनकर्ता का 25 से 30 वर्षों का कब्जा है जबकि प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विलेख दिनांक 17.07.2015 को निष्पादित किया गया। इससे यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी संख्या 1 का कब्जा वर्ष 2015 से पूर्व का हो ही नहीं सकता और ऐसी स्थिति में 25-30 वर्षों से पुराने कब्जे का कथन तथ्यात्मक रूप से असत्य एवं अभिलेखों से असमर्थित है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, प्रश्नगत भूमि का नक्शा तथा कथित बयानों के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दस्तावेज किस तिथि को तैयार किए गए। किसी भी दस्तावेज पर तिथि का अभाव यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विधिक औपचारिकताओं का घोर अभाव रहा है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय सामान्य एवं अनिवार्य नियमों की अनदेखी की गई, तथ्यों का सही परीक्षण नहीं किया गया तथा अभिलेखों में विरोधाभासी विवरण अंकित किए गए। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 71/2015-16, संकल्प



822

संख्या 4 दिनांक 20.06.2015 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी भगवतसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत भादरलाउ को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली